

तारीख हुवन	हुवन या कार्यवाही मय इतिहास/लज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवन की तारीख में जारी हुए
19-3-24 (19/3/24) 18/3/24	पञ्जावली पेशदुर-वकील प्रार्थना उपस्थित विपक्षीयों के सम्मेलन बाद तामिल होवर रजिस्ट्रार डिलेवरी सिपिपुल्ट डूर छिसे शाप पठ दिया गया। विपक्षीयों की खिलनी उल मरेबा ककु-ककु कर आपाजे डिलायी जाले के खादु भी उपस्थित नछे, रनडे किकट एडवरण कार्यवाही किये जाले का क्षडिषा डिया जात है। वकीलप्रार्थना का ग-पग स्वीकार डिया जाकर निर्णय प्रपुड से शिवा जावर शाप पठ खिया गया। पञ्जावली कसल शुमार होवर नम्बर से कम छी।	
		उपखण्ड अधिकारी माण्डल

तहसील
जिला मालवाड़ा

राजस्थान - सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

रसीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

रमा संख्या- 176/23 माण्डल

कमला D/O श्री राजकर कलई निवासी धावोला तहसील-माण्डल (कौंगरा)

बनाम

श्री गैरु शं. श्री हीरा भाट निवासी- धावोला तहसील-माण्डल (कौंगरा)
(सुदंकिता उपखण्ड)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19-3-24

:: आदेश ::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम धावोला पटवार हल्का धावोला तहसील माण्डल में उसके खाते युक्त खाते की आराजी नं० 1118, 1119, 1120, 1121 कुल किता 0.4 रकबा 2-6937 हैक्टयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयों के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा विन्दु नहीं आये दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-09-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धावोला पटवार हल्का धावोला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की नं० 1118, 1119, 1120, 1121 कुल किता 0.4 रकबा 2-6937 हैक्टयर के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक नेवा को 1000/- रूपये /- इनर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को देखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल



लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार रगढ़ी की जाकर पत्थरगढ़ी 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल